अपील सूचना अधिकार संख्या 125/2020(GCMS 2020/00211) श्री राधेश्याम गोयल निवासी मकान नं. 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(मोबाईल नं. 94139–35077) (पोस्टल ऑर्डर नं. 48एफ/311184 बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

01.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2020 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना उसे दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो निम्नानुसार है:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाने के उपरांत उसी दिन व्यक्तिगत कार्य हेतु किसी कर्मकार को जाने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन नियमानुसार करना होता है, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2020/1201 दिनांक 18.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. सं.	आपके प्रार्थना पत्र द्वारा चाही गई सूचना	उत्तर/सूचना
1	कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाने के उपरांत उसी दिन व्यक्तिगत कार्य हेतु किसी कर्मकार को जोन के लिए जिस प्रक्रिया का पालन नियमानुसार करना होता है, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। वांछित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस कारण वांछित सूचना दी नही जा सकती है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपीलार्थी को सूचना प्रदान की थी है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(सौरभ स्वामी)

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर